कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 10/2021 दिनांक: जनवरी, 03/2021

प्रेस नोट

दिनांक 02.01.2021 को थाना फूलपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 513/2020 धारा 419/420/406/376/511/354ख/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सन्तोष बेनवंशी पुत्र स्व0 अमृतलाल बेनवंशी निवासी मानापुर थाना फूलपुर, जनपद-वाराणसी को पिण्डरा बस स्टैण्ड के पास से समय करीब 21.50 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सन्तोष बेनवंशी पुत्र स्व0 अमृतलाल बेनवंशी निवासी मानापुर थाना फूलपुर, जनपद-वाराणसी उम्र 36 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अरूण सिंह थाना फूलपुर वाराणसी।
2. का0 अजीत कुमार थाना फूलपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 11/2021 दिनांक: जनवरी, 03/2021

प्रेस नोट

गैंग लीडर संजय यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने व अपनी पत्नी के नाम से क्रय की गई भूमि/मकान अनुमानित कीमत 2,00,78,400/- रू) 0दो करोड़ अठहत्तर हजार चार सौ रूपये(की गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14) 1 के अन्तर्गत जब्तीकरण की (कार्यवाही की गयी।

थाना शिवपुर में पंजीकृत मु0सं0अ0-330/2020 धारा 3(1) उगिरोह 0प्र0बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि से 1986 0सम्बन्धित गैंग लीडर संजय यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी एस 02/336 गिलट बाजार थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ,जो एक शातिर किस्म का अपराधी है तथा जिसके विरूद्ध **हत्या, अपहरण, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना, गबन, धमकी देना इत्यादि आरोपों के अभियोग पंजीकृत है**। अभियुक्त उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। अभियुक्त संजय यादव उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यो से अर्जित धनराशि से अपने व अपनी पत्नी के नाम से लगभग 2,00,78,4 -/00रू 0(दो करोड अठहत्तर हजार चार सौ रूपये(कीमत की निम्नलिखित भूमि/मकान क्रय किया गया-

1. अभियुक्त संजय यादव उपरोक्त द्वारा दि0 19-06-2010 को आ0नं0 133/03 पर कायम 05 मंजिला मकान नं0 एस 1/124 ए–2 में रकबा 79.46 वर्ग मीटर मौजा चुप्पेपुर परगना शिवपुर तहसील सदर जिला वाराणसी अपने पिता शोभिनाथ यादव से अपनी पत्नी ममता यादव के नाम से पाँच लाख चालीस हजार रुपये में क्रय किया गया, जिसकी कुल कीमत अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा 61.08 लाख रुपये मूल्यांकित की गयी है।
2. अभियुक्त संजय यादव उपरोक्त द्वारा दि0 19.10.2014 में पिंकी यादव उर्फ जानकी यादव पत्नी श्याम नरायण यादव नि0 एस 02/332 बी गिलट बाजार थाना शिवपुर वाराणसी से अपने पत्नी ममता यादव के नाम से म0सं0 एस 2/333 रकबा 32.71 वर्ग मीटर क्रय किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा कुल 31.09 लाख रुपये मूल्यांकित की गयी है।
3. अभियुक्त संजय यादव उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी ममता यादव के नाम से म0सं0 एस 2/492 सिकरौल वाराणसी क्रय किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा कुल 57.50 लाख रुपये मूल्यांकित की गयी है।
4. अभियुक्त संजय यादव उपरोक्त द्वारा दि0 25.04.2018 को सह अभियुक्त गुरू प्रसाद यादव पुत्र उमानाथ यादव नि0 एस 01/102 गिलट बाजार थाना शिवपुर, वाराणसी के मौजा चुप्पेपुर

परगना शिवपुर तहसील सदर जिला वाराणसी स्थित आ0नं0 78/2 रकबा 255.57 वर्ग मीटर खाली जमीन दान के माध्यम से अपने नाम पर क्रय की गई, जिसकी अनुमानित कीमत अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, वाराणसी द्वारा कुल 51,11,400/- रुपये मूल्यांकित की गयी है।

जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा उक्त सम्पत्तिभूमि को कुर्क करने सम्बन्धी प्राप्त आदेश के / अनुपालन मेंआज दिनांक 03.01.2021 को सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना शिवपुर/कैण्ट/लालपुर-पाण्डेयपुर द्वारा मय हमराह पुलिस बल व राजस्व टीम के उगिरोह 0प्र0बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि से संबंधित अभियुक्त 1986 0 संजय यादव की उपरोक्त भूमि/मकान जिसकी अनुमानित कीमत रु0-2,00,78,4 -/00है ,की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत गवाहों के समक्ष डुगडुगी पिटवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>*आपराधिक इतिहास-*</u>

1. मु0अ0सं0 161/10 धारा 364/328/323/120 (बी) भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 118/13 धारा 302/34/120 (बी) भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 154/19 धारा 419/420/467/468/471/120 (बी) भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 201/19 धारा 419/420/467/468/471/120 (बी) भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 206/19 धारा 419/420/467/468/471/120 (बी) भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 210/19 धारा 419/420/467/468/471/120 (बी) भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
7. मु0अ0सं0 215/19 धारा 419/420/467/468/471/427/506 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।
8. मु0अ0सं0 330/2020 धारा 3(1) उगिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण 0प्र0 1986 0अधि थाना शिवपुर वाराणसी।
9. मु0अ0सं0 484/2020 धारा 406/504/506 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी।

<u>नोट:- संजय यादव वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध है।</u>

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 12/2021 दिनांक: जनवरी, 03/2021

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *"मिशन शक्ति"* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03.01.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियों/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरुकता अभियान चलाते हुए 110 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 2499 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 498 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 91 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 717 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 व्यक्ति के विरूद्ध धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही एवं 52 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 13/2021 दिनांक: जनवरी, 03/2021

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 03.01.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *03 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 26 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये *कुल 203 व्यक्तियों से रु0-9500/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 832 वाहनों का चालान, 09 वाहनों को सीज तथा 33 वाहनों से रु0-29,200/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।